ग्राम पंचायत डगोह खास, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.13 से 31.03.16

1 (क) प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत डगोह खास, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

1	श्री सखदेव सिंह	1-4-2013 से 22-1-2016
2	श्रीमति अनीता कमारी	23-1-2016 से लगातार

सचिव:-

1	श्री नीरज चौहान	1-4-2013 से 1-1-2015
2	श्री शमशेर सिंह	2-1-2015 से 31-3-2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत डगोह खास के लेखाओं अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	पैरा 8	अनदानों का उपयोग न करना	12.23
2	पैरा 9	प्राप्त अनदानों की राशि से अधिक व्यय	2.07
3	पैरा 10	स्वजलधारा अनदान में प्राप्त राशि को व्यय न करना	2.74
4	पैरा 12	मूल्यांकन के बिना भगतान करना	0.70
5	पैरा 14	पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गयी मदों को स्टॉक /स्टोर रजिस्टर में दर्ज न करना	1.91

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत डगोह खास , विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 4/2013 से 03/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह , अनभाग अधिकारी व जीवन कमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 31/1/2017 से 3/2/2017 तक खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेत आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013-14	4/2013	6/2013
2014-15	10/2014	3/2015
2015-16	2/2016	10/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेत स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत डगोह खास , विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शल्क को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिoप्रo) शिमला-9 को प्रेषित करने हेत अंकेक्षण अधियाचना संख्या 30/2017 दिनांक 2-2-2017 द्वारा अनरोध किया गया।

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत डगोह खास द्वारा प्रस्तत अभिलेख के अनसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

(1) स्वः स्त्रोत:- ग्राम पंचायत डगोह खास के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	228246.02	178501.00	406747.02	92026.00	314721.02
2014-15	314721.02	83122.00	397843.02	128346.00	269497.02
2015-16	269497.02	103429.00	372926.02	45424.00	327502.02

(2) अनुदान:- ग्राम पंचायत डगोह खास के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	1967277.44	2190946	4158223.44	3055936	1102287.44
2014-15	1102287.44	2067033	3169320.44	2025570	1143750.44
2015-16	1143750.44	2655619	3799369.44	2575895	1223474.44

5 <u>बैंक समाधान विवरणी</u> :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत डगोह खास के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2016 को निम्नानसार रोकड़ वही तथा बैंक खातों मे अंतर शून्य था जिसका विवरण निम्नानसार है।

1 दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ वही खाता क पैरा 4(1)का अन्तशेष ₹327502.02

2 दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ वही खाता ख पैरा 4(2) का अन्तशेष ₹1223474.44

योग ₹1550976.46

<u>अन्तशेष का विवरण:-</u> दिनांक 31-03-2016 को अंत शेष का विवरण निम्नानुसार था।

क्र. संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1	के.सी.सी.बी. दौलतपर चौंक	20014009362	1426486.58
2	पी. एन.बी. दौलतपर	3957000300036330	0
3	पी. एन.बी. दौलतपर	3957000300034850	19454
4	पी. एन.बी. दौलतपर	3957000300036320	104621
5	एस. बी.आई. दौलतपर	9721	175
6	डाकखाना दोलतपर		22
	डाकखाना ऊना		167.88
		<u>Total</u>	**<u>1550926.46</u>**
		हस्तगत राशि (मख्य रोकड़ वही)	50
		<u>TOTAL</u>	**<u>1550976.46</u>**

अंतर 1550976.46 - 1550976.46 = 0

6 निर्धारित बजट प्रांकलन तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनमोदित न करने के कारण पंचायत

द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हये भविष्य में नियमानसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सनिश्चित किया जाये।

7 पंचायत राजस्व ₹0.39 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत सचिव डगोह खास द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनसार दिनांक 31-03-2016 तक पंचायत राजस्व गृहकर ₹39250 वसूली हेत शेष थी।

1 गृहकर:

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	55760	19320	75080	71360	3720
2014-15	3720	19320	23040	430	22610
2015-16	22610	20640	43250	4000	39250

(2) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनसार फॉर्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। अत: गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हए भविष्य में नियमानसार अभिलेख तैयार करना सनिश्चित किया जाए।

8 अनुदान ₹12.23 लाख का उपयोग न करना;-

पंचायत द्वारा अनदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनसार दिनांक 31.03.16 तक अनदान ₹1223474 उपयोग हेत शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेत प्राप्त अनदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनसार अनदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

9 प्राप्त अनुदानों की राशि से ₹2.07 लाख का अधिक व्यय

सचिव ग्राम पंचायत डंगोह खास द्वारा उपलब्ध करवाए गये आंकड़ो तथा वितीय स्थिती के अनसार 12TH FC,HAR IYALI.VKVNY,RELIEF, MPLAD में दिनांक 31-03-2016 को निम्नानसार ₹207010 ऋणात्मक दर्शाई गयी है जोकि किसी अन्य योजना के व्यय का लेखांकन 12TH FC,HAR IYALI.VKVNY,RELIEF, MPLAD में अथवा किसी अन्य योजना से 12TH FC,HAR IYALI.VKVNY,RELIEF, MPLAD का भगतान करने के फलस्वरूप है। इस चूक का नियामानसार निराकरण सनिशचित करते हए अन पालना से अवगत करवाएं।

1	12th FC	18109
2	HARIYALI	5008
3	VKVNY	63893
4	RELE।F	100000
5	MPLAD	20000
	योग	**207010**

10 <u>स्वजलधारा अनुदान में प्राप्त ₹2.74 लाख व्यय न करना :-</u>

ग्राम पंचायत डंगोह खास ने वर्ष 2005 में स्वजलधारा अनदान में प्राप्त ₹273645 को 31-3-2016 तक लगभग 11 वर्षों के उपरांत भी व्यय नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत को उक्त अनदान की आवश्यकता नहीं है। अत: मामला उचाधिकारियो के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही हेत विशेष रूप से लाया जाता है।

11 <u>सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना :-</u>

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेत उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं।चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनचित है क्योंकि लिखित रूप में अनदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनदानों के दर्वि नियोजन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारि यों के ध्यान में लाया जाता है।

12 <u>मूल्यांकन के बिना भुगतान करना :-</u>

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :एस एम् एस -17 /2002-आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता की मूल्यांकन के पश्चात ही पंचायत द्वारा भगतान किया जाएगा । परन्त जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट (2)** पर लगाये गये विवरण के अनसार पंचायत द्वारा ₹69784 का भगतान मूल्यांकन के बिना किया गया । अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टिकरण प्रस्तत करते हए मूल्यांकन के बिना भगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए।

13 <u>मदों को निर्धारित इकाई में क्रय न करना</u>

हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या: पी सी एच -एच (5) सी (15) 313/89 दिनांक 16-7-2016 के अनसार "ग्राम पंचायत रेत, बजरी, पथर,

सीमेंट लकड़ी आदि के क्रय के सन्दर्भ में निर्धारित ईकाई को ध्यान में रखकर क्रय करें जैसे रेत, बजरी निर्धारित क्यूबिक फट के अनसार "परन्त ग्राम पंचायत ने इन मदों का क्रय फेरों के रूप में किया गया न कि निर्धारित ईकाई के अनसार जिसके उदाहरण **परिशिष्ट (4)** पर दिए गये है जोकि दिशा निर्देशों की अवहेलना होने के अतिरिक्त किसी कार्य में प्रयोग की गयी इन मदों की मात्रा को ज्ञात नहीं किया जा सकता है । अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये व भविष्य में निर्माण सामग्री निर्धारित ईकाई में क्रय कर उपयोग लेखा भी तैयार किया जाये।

14 <u>पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गयी मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करना ;-</u>

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (A)(VI) में पंचायत निर्माण कार्यों के लिए स्टॉक /स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट (3)** में दिए गए विवरणानसार पंचायत द्वारा ₹191122 के स्टॉक/स्टोर का क्रय पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए किया गया , जिसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया । जाँच में यह भी पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयोग की गयी मदों का क्रय बिना निविदाएँ लिए किया गया है| अत; बिना निविदाओं के निर्माण सामग्री का क्रय करने तथा सामग्री को भण्डार रजिस्टर में दर्ज न करने बारे व उपयोग लेखा तैयार न करने बारे वस्तस्थिति से अवगत करवाया जाए।

15 <u>मस्ट्रोल को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करवाना:-</u>

ग्राम पंचायत द्वारा लाखों रुपये के निर्माण कार्य मजदूरों से करवाए गये तथा उन्हें मस्ट्रोल पर भगतान किया गया परन्त हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म , कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(1) तथा 108 के अनसार इन कार्यों के मस्ट्रोल को न सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से नियमानसार सत्यापन नहीं करवाया गया । अत: उक्त के अभाव में भगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

16 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , परन्त अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 लघु आपत्ति विवरणिका:- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपित लघ आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

18 निष्कर्ष:- लेखाओं में सधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(V) 22/2017–खण्ड–1– 2322–2325 दिनाँक शिमला–171009,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत डगोह खास, विकास खण्ड गगरेट, तहसील अम्ब, जिला ऊना, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गगरेट, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हि0प्र0

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881